तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी रेफरेन्स/एल.आर./2393/2021/जयपुर कल्याण बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री सी.पी. पाराशर, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

<u>आदेश</u>

दिनांक 18.06.2021

प्रार्थी अधिवक्ता श्री सी.पी.पाराशर द्वारा जाहिर किया गया कि इस प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रेफरेन्स में निर्णय करते समय कल्याण को मृतक के रूप में दिखाया गया है जबकि कल्याण आज भी जीवित है, जिसे उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 1–4–2021 को हुई। जबकि राज्य सरकार की ओर से पैरोकार श्री राजेन्द्रप्रसाद मीणा में जाहिर किया कि अभी इस प्रकरण में कल्याण के मृतक होने के बारे में जांच अपेक्षित है, बिना जांच के किसी प्रकार का कोई अन्तरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि बोर्ड हाजा का निर्णय दिनांक 11–12–2012 में विपक्षी संख्या–2 कल्याण को 'मृतक' के रूप में दिखाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट है न्यायालय सुधाशु पंत, आईएएस, जिला कलक्टर, जयपुर के निर्णय की प्रति दिनांक 21–3–2005 पर विपक्षी संख्या–2 कल्याण पुत्र मोती से पहले नीली स्याही के पेन से 'फौत' लिखा हुआ है और विपक्षी संख्या–2 कल्याण के ओर से श्री डुंगरसिंह राठौड व पुष्पेन्द्रसिंह नरूका अधिवक्ता द्वारा भी वकालतनामा भी पेश किया हुआ है जिसमें कल्याण पुत्र मोती का नाम भी अंकित है। आदेशिका दिनांक 6–6–2005 में अप्रार्थी संख्या–2 को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी रेफरेन्स/एल.आर./2393/2021/जयपुर कल्याण बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्यालय से नोटिस जारी होने का भी उल्लेख है और दिनांक 8-8-2005 को अप्रार्थी संख्या-2 को फौत होना उल्लेखित है। अतः इस सम्बन्ध में यह जांच अपेक्षित है कि कल्याण पुत्र मोती जीवित है अथवा मृतक हो गया और यदि फौत हुआ तो कब हुआ और यदि जीवित है तो किस कारण से आदेशिका में उक्त तथ्य उल्लेखित किया गया। अतः निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तथ्य की जांच अपने स्तर पर स्वंय अथवा सक्षम सम्बन्धित अधिकारी से करवा कर यथाशीघ्र रिर्पोट प्राप्त करें। तत्पश्चात् इस प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय में पेश करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** **सदस्य**	